AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI BALESHWAR RAM): (a) Yes, Sir.

(b) The amending Bill has heen introduced in the Lok Sabha on the 30th April, 1982.

भेजे गये चावल को उठाने में विलम्ब के कारण हुई हानि

853. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भोपाल से प्रकाशित होने वाले दैनिक "स्वदेश" में 10 मार्च, 1982 को प्रकाशित हुये उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसके अनुसार सोनपुर रेलवे स्टेशन पर भेजा गया लाखों रुपये का चावल खुले में पड़ा हुआ सड़ रहा है और उसको उठाने में हुये विलम्ब के कारण प्रतिदिन हजारों रुपये विलम्ब-शुल्क के तौर पर रेलवे को देने पड़ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) और (ख) सोनपुर बिहार में एक रेलवे स्टेशन है। मार्च, 1982 में सोनपुर स्टेशन पर चावल का कोई रेक प्राप्त नहीं हुआ था। तथापि हाजीपुर रेलवे स्टेशन, जोकि सोनपुर से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, पर 3-3-82 को चावल का एक रेक पहुंचा था। यद्यपि उस रेक से उतराने का काम 4-3-82 तक पूरा हुआ था फिर भी बिहार में ट्रक मालिकों की हड़ताल होने के कारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा उस स्टाक को अपने डिपो में शीघ्र नहीं ले जाया जा सका। खाद्यान्नों के स्टाक को क्षति से बचाने के लिये उन्हें पोलीथीन की चादरों से ढक दिया गया था और भारतीय खाद्य निगम के डिपो को उस स्टाक की ढुलाई का कार्य 12-3-82 तक पूरा हुआ था। अलग करने के बाद एक हजार रुपये से कम मूल्य का केवल पांच क्विंटल चावल क्षतिग्रस्त पाया गया था। रेलवे द्वारा लगाये गये 1,25,186.90 रुपये के घाट शुल्क में से 38,596.90 रुपये की राशि को रेलवे ने माफ कर दिया है। क्योंकि रेलवे के परिसरों से माल को हटाने में देरी भारतीय खाद्य निगम के नियंत्रण के बाहर के कारणों की वजह से हुई थी इसलिये भारतीय खाद्य निगम ने शेष राशि को भी माफ करने के लिये अपील की है।

चीनी मिलों द्वारा किसानों को बकाया राशियों की अदायगी

854. **श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल :**
श्री जे० पी० गोयल :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा इस समय किसानों को कितना रुपया देना बकाया है ;

(ख) किसानों को बकाया राशि का भुगतान करवाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि चीनी मिल मालिकों द्वारा किसानों को बकाया राशि पर ब्याज की अदायगी की जाये, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में उप मंत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) गन्ने के बकायों का पूर्ण भुगतान करवाने की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। तथापि, गन्ने के बकायों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे बकायों का भुगतान करवाएं।

गन्ने की भरपूर फसल को देखते हुये चीनी मिलों को वर्तमान मौसम के दौरान अधिक ऋण सुविधाओं की अनुमति दी गयी है।

चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहणन) अधिनियम, 1978 में उन चीनी फैक्टियों को अपने अधिकार में लेने की व्यवस्था है जिनकी तरफ गन्ने के मूल्यों की भारी राशि निकलती है। तथापि, इस अधिनियम में दी गयी शक्तियों का कभी-कभार और असाधारण मामलों तथा जनहित में ही प्रयोग किया जाता है।

(ग) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में गन्ने के मूल्य के बकायों पर ब्याज देने की भी व्यवस्था है। इस व्यवस्था को लागू करने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम की सामान्य धाराओं में तथा गन्ने को विनियमित करने तथा उसकी खरीदारी करने से संबंधित राज्य के विभिन्न कानूनों में राज्य सरकारों को आवश्यक शक्तियां प्रदान करने की व्यवस्था है।

विवरण

31-3-1982 को उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को देय बकाया राशि

(आंकड़े लाख रुपयों में)

राज्य	1981-82 मौसम के दौरान 31-3-82 तक खरीदे गये गन्ने का देय कुल मूल्य	31-3-82 तक दिया गया गन्ने का मूल्य	31-3-82 को देय गन्ने के मूल्य की शेष राशि	31-3-82 अथवा अद्यतन उपलब्ध तारीख को पहले मौसमों में गन्ने के मूल्य की बकाया राशि	
				1980-81 मौसम	1979-80 और पहले के मौसमों के
1. उत्तर प्रदेश	31589.06	25367.06	6222.00	16.59	260.59
2. बिहार	6015.65	3913.85	2101.80	4.38	79.40
3. मध्य प्रदेश	978.65	826.70	151.95	—	29.45
4. महाराष्ट्र	36801.09	33838.35	2962.74	41.63	171.84